स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) पहली पंचवर्षीय योजना से अब तक लगभग 6730·60 लाख रुपये ।

(ख) उपर्युक्त धन-राशि में से 42.39 लाख रुपये जापान, इंग्लैण्ड और दक्षिण कोरिया से परिवार नियोजन के साधनों के आयात के लिये खर्च किए गये थे ।

दिल्ली में सरकारी तथा गैर-सरकारी बस्तियां

5179. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक कितनी सरकारी तथा गैर-सरकारी बस्तियां बनाई गई हैं ;

(ख) इन बस्तियों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा अब तक कितना धन दिया जा चुका है और उससे सरकार को कितनी आय हो रही है; और

(ग) सहकारी समितियों द्वारा कितनी बस्तियां बनाई गई हैं और उनको दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग). इस मंत्रालय का सम्बन्ध मुख्यतः पात्र केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल में निवास स्थान बनाने से है । 32 सरकारी रिहायशी बस्तियों के अतिरिक्त मैसेज तथा होस्टल भी हैं । वेलेजली रोड, कार्नवालिस रोड, मथुरा रोड आदि पर भी मकान बनाए गए हैं । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निवास स्थान का निर्माण 35 वर्ष पूर्व से आरम्भ किया गया था तथा तब से अब तक वह जारी है । बस्तियों के निर्माण तथा विकास पर हुए खर्चे के संबंध में सूचना एकत्रित करने में जो समय और श्रम लगेगा उसके अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

जहां तक गैर सरकारी बस्तियों, जिनमें सहकारी समितियों के द्वारा निर्माण शामिल है, का संबंध है, उनके विषय में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय को लिखा जाये ।

सिंचाई योजनाओं पर खर्च

5180. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी धन-राशि खर्च की और प्रत्येक योजना पर किये गये खर्च का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में मूल रूप में निश्चित किये गये लाभ की तुलना में कितना लाभ हुआ है; और

(ग) सिंचाई पर लगाये गये शुल्क को वसूल करने में राज्य सरकारों को कहां तक सफलता मिली है और उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सरकार चुनी हुई बहूद्देश्यीय तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित ऋण सहायता देती है । अन्य बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं को विविध विकास ऋणों के द्वारा परोक्ष सहायता दी जाती है; ये ऋण राज्यों की समस्त योजनाओं के लिए दिये जाते हैं ।

लघु सिंचाई योजनाओं को ऋणों तथा अनुदानों द्वारा सहायता दी जाती है । (ख) और (ग) 1963-64 के वर्ष के लिये वित्तीय लाभों का ब्यौरा, जो केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने राज्य सरकारों तथा परियोजना अधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बनाया था, संसद के पुस्तकालय में रख दिया गया है ।